न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 101/2022 बउनवानी मो0इस्लाम खान बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0 पुत्र नफूर खान एडवोकेट, निवासी स्टेशन रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/177

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी को आपके रसद विभाग मे सन् 2019 मे सुखवीर सिंह चौधरी को उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत महुकलां के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के तहत प्रकरण संख्या 32/2019 दिनांक 3.7.2019 के निर्णय अनुसार दिनांक 30.7.2019 को सुखवीर सिंह का उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत महुकलां के डीलरशीप से निरस्त कर दिया था तथा उक्त निरस्तीकरण के बावजूद भी किस आदेश से पुनः सुखवीर सिंह को ग्राम पंचायत महुकलां की उचित मूल्य दुकान की डीलरशीप सम्भलाई गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/2978 दिनांक 14.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2975 दिनांक 14.11.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 2975 दिनांक 14.11.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलन्ट को उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त हो[illegible]र्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधिनियम की तय समय[illegible] उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible]। आदेश खुले न्याय[illegible] मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:39:50 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर